8079

142. letter mn. scan

नीलामी में अनुपयोगी सामग्रियों की नियम व शर्तें

1– अनुपयोगी सामग्रियों को जहाँ है, जैसा है, के आधार पर खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया जायेगा।

2– धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में बोली से पूर्व जमा कराना होगा। नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– बोली को बिना कारण बताये स्वीकार /अस्वीकार /निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

4– सर्वोच्च बोलीदाता को 50 प्रतिशत धनराशि 24 घण्टों के अन्दर जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता की धरोहर राशि प्रथम बोलीदाता द्वारा वांछित धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

5– शेष 50 प्रतिशत धनराशि सर्वोच्च बोलीदाता को एक सप्ताह के अन्तर्गत जमा करानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

6– राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन द्वारा नीलामी के सापेक्ष आरोपित कर जैसे–जी.एस.टी. इत्यादि सर्वोच्च बोलीदाता को अतिरिक्त रूप में जमा करानी होगी।

7– अनुपोगी सामग्रियों के सापेक्ष सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा नीलामी में बोली गई धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराने के उपरान्त ही अनुपयोगी सामग्रियों को प्राधिकरण परिसर से बाहर ले जाया जा सकेगा।

8– अनुपयोगी सामग्रियों को ले जाने तोलने आदि पर जो भी खर्च आयेगा वह सर्वोच्च बोलीदाता को वहन करना पड़ेगा।

9. किसी भी वाद– विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद का निर्णय ही अन्तिम निर्णय माना जायेगा।

17/9/24 AE(T) डी0एस0 मेहरा सहायक अभियन्ता (तकनीकी)	18/9/24 AE प्रबुद्धराज सिंह सहायक अभियन्ता (अनुरक्षण)	18/9/24 अजीत कुमार बघाड़िया प्रभारी अनुरक्षण

Scanned with CamScanner